राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ. 18/डीडीएमए/कोविड/2020/164 दिनांक 15.05.2020

आदेश

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश संख्या 2/07/2020/एस–1/122 दिनांक 01.05.2020, आदेश संख्या. 2/07/2020/एस–1/129 दिनांक 03.05.2020 और आदेश 2/07/2020/एस–1/132 दिनांक 04.05.2020 के अनुक्रम में और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 22 के तहत निहित शक्तियों के उपयोग के द्वारा, राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि ट्रेन द्वारा व्यक्तियों की आवाजाही के लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) का कड़ाई से अनुपालन किया जाए, जैसा कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40–3/2020–डीएम–1 (ए) दिनांक 11 मई, 2020 (प्रति संलग्न) द्वारा जारी किया गया है।

संलग्न : यथोक्त

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालन हेतु :–

1. श्री पी0के0 गुप्ता, प्रधान सचिव (समाज कल्याण)/राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. श्री मुक्तेश चन्दर, विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली/नोडल अधिकारी दिल्ली पुलिस।
3. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
4. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय परिवहन मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
11. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।

अनुलग्नक

रेलगाड़ी से व्यक्तियों के आवाजाही के लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी)

रेलगाड़ियों द्वारा व्यक्तियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए, निम्नलिखित मानक संचालन प्रोटोकॉल निम्न प्रकार हैं :

(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHF) और गृह मंत्रालय, भारत सरकार (MHA) के परामर्श से रेल मंत्रालय (MoR) द्वारा रेलगाड़ियों के आवाजाही की अनुमति एक क्रमबद्ध तरीके से दी जाएगी।

(ii) रेलगाड़ी अनुसूची; यात्रियों के लिए बुकिंग, प्रवेश और आवाजाही के लिए प्रोटोकॉल; और कोच सेवा विनिर्देशों को व्यापक रूप से रेल मंत्रालय (MoR) द्वारा प्रचारित किया जाएगा।

(iii) केवल ई–टिकट की पुष्टि वाले यात्रियों को ही स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति होगी।

(iv) यात्री (ओं) के साथ–साथ यात्रियों को (और) स्टेशन से लाने–ले जाने वाले वाहनों के चालक को ई–टिकट की पुष्टि के आधार पर अनुमति दी जाएगी।

(v) रेल मंत्रालय (MoR) ट्रेन स्टेशनों पर निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगाः

(क) सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी और केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही रेलगाड़ी में प्रवेश/बोर्ड करने की अनुमति होगी।

(ख) सभी यात्रियों को स्टेशन पर और कोचों में प्रवेश और निकास बिंदु पर हैंड सेनिटाइजर प्रदान किया जाएगा।

(ग) प्रवेश के दौरान और यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को फेस कवर/मास्क पहनने होंगे।

(vi) बोर्डिंग और यात्रा के दौरान, सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिग (सामाजिक दूरी) बनाए रखनी होगी।

(vii) स्वास्थ्य परामर्शी/दिशा–निर्देशों को रेल मंत्रालय द्वारा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से अपने कर्मचारियों और यात्रियों के लिए परिचालित किया जाएगा।

(viii) अपने गंतव्य पर पहुंचने पर, यात्रा करने वाले यात्रियों को ऐसे स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो गंतव्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित हैं।